

क्रमांक 3328899/छ.ग./2015
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /02/2015

--: आदेश :-

श्री ए.के. वर्मा, उपअभियंता के विरुद्ध सीमेंट प्रकरण में पुलिस थाना-चारामा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध करने तथा दि. 28.06.2010 से 03.07.2010 तक 48 घंटे से अधिक जेल में रहने के फलस्वरूप मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 1522/स्था. (1)/10/7129 दिनांक 15.09.2010 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात् उनका प्रकरण क्रमांक 616/2010 दिनांक 30.11.2010 माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर में प्रचलित होने तथा माननीय न्यायालय में 03 वर्ष से अधिक समय से लम्बित होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2009/1-3 दिनांक 16.06.2009 एवं क्रमांक एफ 9-1/2009/1-3 दिनांक 02.07.2012 के प्रावधानों के अधीन मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 1522/स्था. (1)/10/11769 दिनांक 31.12.2014 द्वारा निलम्बन से (प्रतिसंहत) किया गया, जिसे पुनः मुख्य अभियंता के आदेश क्रमांक 1522/स्था. (1)/10/446 दिनांक 20.01.2015 द्वारा निरस्त किया गया।

प्रकरण में उपरोक्त आरोपी श्री ए.के. वर्मा, उपअभियंता को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.2015 द्वारा तीन एवं चार वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है, जिससे उनके नैतिक पतन का आभास होता है।

सेवारत् शासकीय सेवक यदि किसी अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाया जाता है, जिससे उसका नैतिक पतन अंतर्विलित हो तो उसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 10 (नौ) में प्रावधानिक सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।

श्री ए.के. वर्मा, उपअभियंता को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2015 में दण्डित किये जाने के कारण उन्हें शासकीय सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री ए.के. वर्मा, उपअभियंता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 19 (एक) सहपठित 19 (दौ) एवं नियम-10 (नौ) के अध्याधीन उनके द्वारा किये गये गंभीर ऋदाचरण के कृत्य के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from Service) (जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी) किया जाता है।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 3328899/छ.ग./2015

2979

रायपुर, दिनांक 09/02/2015

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 3. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर।
 4. अधीक्षण अभियंता, बांध मंडल, रुद्री।
 5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन रांगाग, कांकेर।
 6. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रुद्री।
 7. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
 8. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक-1, कांकेर।
 9. थाना प्रभारी, पुलिस थाना, चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर।
 10. श्री ए.के. वर्मा, उपअभियंता द्वारा स.क्र. (02)।
 11. मास्टर नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर